न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 08/24 दायरा दिनांक 02.08.2024

1. राजेशकुमार पुत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी रामपुरतलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. ममता पुत्री रामजीलाल जाति महाजन निवासी रामपुरतलेटी हाल शाहावाद तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. अनीता पुत्री रामजीलाल जाति महाजन निवासी रामपुरतलेटी हाल फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. मुन्नीबाई वेवा रामजीलाल जाति महाजन निवासी रामपुरतलेटी हाल शाहावाद तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी दिगोदी तह. कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र. – अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. ग्राम पंचायत आगर जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत आगर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पोन्डेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत आगर नामान्तरकरण संख्या 82 ग्राम कोटडा पटवार हल्का रामपुरतलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय दिनांक 04.09.2024

उपस्थित– अपीलाण्टस की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कोटडा तहसील शाहावाद के खाता संख्या 63 की आराजी ख.नं. 32/64 रकबा 8.05 बीघा स्थित है, जो अपीलान्टस के पिता रामजीलाल पुत्र कोमलप्रसाद जाति महाजन निवासी रामपुरतलेटी के नाम दर्ज रहा है अपीलान्ट के पिता रामजीलाल के फोत हो जाने के कारण विरासत नामा. नं. 82 दिनांक 30.11.2005 को दर्ज किया गया, जिसमें अपीलान्ट कम 3 का नाम अनीता के स्थान पर कमलेश गलत दर्ज कर दिया है। अपीलान्ट का नाम अनीता है इस बावत आधारकार्ड राशनकार्ड भामाशाहकार्ड पेनकार्ड जनआधारकार्ड मतदाता परिचयपत्र एवं बैंक खाता पासबुक की प्रतियां पेश हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम कोटडा के नाम. संख्या 82 पर पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट कम 3 का सही नाम अनीता से नामान्तरकरण दर्ज के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को तलब किया गया। रेस्पो. बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजों में अपीलान्ट कम 3 का नाम अनीता दर्ज है, इस प्रकार अपीलान्ट ने प्रथम दृष्टया अपने कथन को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:46:21 IST
Reason: SelfAttested

04.09.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

साबित करने में सफल रहे हैं, परन्तु वास्तव में खातेदार रामजीलाल के वारिसान कौन है ये जांच का विषय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 82 ग्राम कोटडा तहसील शाहावाद को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट क्रम 3 के नाम बावत तथा मृत खातेदार रामजीलाल पुत्र कोमलप्रसाद जाति महाजन निवासी रामपुरतलेटी तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

04.09.2024

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:46:21 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner